

## अध्याय I

### प्रत्यक्ष कर प्रशासन

#### 1.1 संघ सरकार के संसाधन

**1.1.1** भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सारांश प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय वर्ष 12 के लिए ₹ 52,83,774 करोड़<sup>1</sup> है। संघ सरकार की स्वयं की प्राप्तियाँ ₹ 8,89,118 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 12,20,597 करोड़ थीं। यह कुल प्राप्तियों का केवल 23.10 प्रतिशत था। शेष 76.90 प्रतिशत प्राप्तियाँ उधारी के माध्यम से हुईं।

**करोड़ ₹**

**तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन**

क.	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	11,65,691
i.	प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	4,93,987
ii.	अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	3,95,131
iii.	सहायता अनुदान एवं अंशदान सहितगैर-कर प्राप्तियाँ	2,76,573
ख.	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	18,088
ग.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	36,818
घ.	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	40,63,177
<b>भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)</b>		<b>52,83,774</b>
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों का ₹ 2,55,414 करोड़ का हिस्सा शामिल है।		

**1.1.2** राजस्व प्राप्तियाँ कर तथा गैर-कर दोनों स्रोतों से होती हैं। कर राजस्व में करों की आय तथा संघ सरकार द्वारा वसूले गए शुल्क शामिल हैं, अर्थात् आय एवं व्यय पर कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क इत्यादि।

#### 1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

**1.2.1** संसद द्वारा उद्ग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं:

- कम्पनियों तथा व्यापारी संगठनों की आय पर उद्ग्रहीत **निगम कर**

<sup>1</sup> स्रोत: संघ वित्त लेखा का वित्तीय वर्ष 12

- व्यक्तियों, कम्पनियों के अतिरिक्त, नामतः व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), फर्मों, सहकारी समितियों, न्यासों, व्यष्टियों के निकायों, व्यक्ति संघों तथा किसी की आवासीय स्थिति के आधार पर प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति पर उद्ग्रहीत **आयकर**।
- धनकर<sup>2</sup>, प्रतिभूति लेनदेन कर<sup>3</sup> आदि सहित अन्य प्रत्यक्ष कर। अन्य प्रत्यक्ष करों में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, बैंकिंग नकद लेनदेन कर, व्यय कर, ब्याज कर, होटल प्राप्तियां कर तथा सम्पदा शुल्क भी शामिल हैं; जो सभी अब समाप्त कर दिए गए हैं।

### 1.3 विभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व

**1.3.1** प्रत्यक्ष करों के प्रशासन का समग्र उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (डीओआर) का है, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)/आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से कार्य करता है। परिशिष्ट-1 में डीओआर/सीबीडीटी के प्रमुख कार्यों, भूमिका और उत्तरदायित्वों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है।

**1.3.2** आईटीडी की कुल कर्मचारी संख्या 57,793 है। आयकर विभाग के अधिकारियों<sup>4</sup> की स्वीकृत तथा कार्यरत संख्या 31 मार्च 2012 को क्रमशः 8,638 तथा 7,251 थी। सीबीडीटी का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-2 में दर्शाया गया है।

### 1.4 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं रचना

**1.4.1** निम्न तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान प्रत्यक्ष कर (डीटी) की सापेक्षिक वृद्धि दर्शाती है। हमने पाया कि जीटीआर के प्रति प्रत्यक्ष करों का हिस्सा इस अवधि के दौरान 38.42 प्रतिशत (₹ 0.83 लाख करोड़) से बढ़कर 55.56 प्रतिशत (₹ 4.94 लाख करोड़) हो गया। इसी अवधि के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद<sup>5</sup> (जीडीपी) 15.20 प्रतिशत और जीटीआर 17.07 प्रतिशत बढ़ गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों ने एक प्रभावी स्थिति बनाए रखी जो देश में एक मजबूत प्रतीक तथा प्रगतिशील कर प्रणाली का सूचक है।

<sup>2</sup> निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

<sup>3</sup> भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई करयोग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर करा तथापि, निर्धारण वर्ष 10 से धारा 88ई के अन्तर्गत कोई छूट अनुमत नहीं है।

<sup>4</sup> सीसीआईटी/डीजीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अतिरिक्त सीआईटी/जेसीआईटी, डीसीआईटी/ एसीआईटी तथा आईटीओज।

<sup>5</sup> जीडीपी आधार वर्ष 2004-05 के साथ वर्तमान बाज़ार मूल्यों पर आधारित है, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा जनवरी 2013 में बताया गया और 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर की वृद्धि

करोड़ ₹

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर
वि.व 03	83,089	25,30,663	3.28	216,266	38.42
वि.व 04	105,089	28,37,900	3.70	254,348	41.32
वि.व 05	132,771	32,42,209	4.10	304,958	43.54
वि.व 06	165,216	36,93,369	4.47	366,152	45.12
वि.व 07	230,195	42,94,706	5.36	473,512	48.61
वि.व 08	312,217	49,87,090	6.26	593,147	52.64
वि.व 09	333,857	56,30,063	5.93	605,298	55.16
वि.व 10	377,594	64,77,827	5.83	624,527	60.46
वि.व 11	445,995	77,95,313	5.72	793,307	56.22
वि.व 12	493,987	89,74,947	5.50	889,118	55.56

**1.4.2** निम्न तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निरपवाद रूप से निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी)<sup>6</sup> और जीडीपी की तुलना में वृद्धि को दर्शाती है। सीटी 24.60 प्रतिशत तक और आईटी 19.02 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसी अवधि के दौरान, कॉरपोरेट निर्धारिती आधार 2.35 प्रतिशत था तथा गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती आधार 2.87 प्रतिशत था।

तालिका 1.3: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की और इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि

करोड़ ₹

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की प्रतिशत वृद्धि	सीटी	पिछले वर्ष की प्रतिशत वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की प्रतिशत वृद्धि
वि.व 03	83,089	-	46,172	-	36,866	-
वि.व 04	105,089	26.48	63,562	37.66	41,387	12.26
वि.व 05	132,771	26.34	82,680	30.08	49,268	19.04
वि.व 06	165,216	24.44	101,277	22.49	55,985	13.63
वि.व 07	230,195	39.33	144,318	42.50	75,093	34.13
वि.व 08	312,217	35.63	192,911	33.67	102,659	36.71
वि.व 09	333,857	6.93	213,395	10.62	106,075	3.33
वि.व 10	377,594	13.10	244,725	14.68	122,417	15.41
वि.व 11	445,995	18.12	298,688	22.05	139,102	13.63
वि.व 12	493,987	10.76	322,816	8.08	164,525	18.28

<sup>6</sup> परिशिट-3 निर्धारण वर्ष 03 से निर्धारण वर्ष 12 के लिए कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के लिए कर की दरें दर्शाता है।

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	सीटी	आईटी	जीडीपी प्रतिशत्ता के अनुसार
वि.व 03	3.28	1.82	1.46	
वि.व 04	3.70	2.24	1.46	
वि.व 05	4.10	2.55	1.52	
वि.व 06	4.47	2.74	1.52	
वि.व 07	5.36	3.36	1.75	
वि.व 08	6.26	3.87	2.06	
वि.व 09	5.93	3.79	1.88	
वि.व 10	5.83	3.78	1.89	
वि.व 11	5.72	3.83	1.77	
वि.व 12	5.50	3.60	1.83	

**1.4.3** नीचे तालिका 1.4 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में विभिन्न तरीकों {स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर} के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रहण की वृद्धि दर्शाती है। अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर तथा टीडीएस के माध्यम से संग्रहण, मोटे तौर पर प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन की डिग्री का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण निर्धारण पर होता है।

**1.4.4** वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कॉर्पोरेट (84 से 79 प्रतिशत) और गैर- कॉर्पोरेट (94 से 90 प्रतिशत) निर्धारिती के लिए स्वैच्छिक अनुपालन में कमी आई। इसी अवधि के दौरान कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितियों के आधार की औसत वार्षिक वृद्धि क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत थी।

**1.4.5** निम्न तालिका 1.4 दर्शाती है कि अग्रिम कर वित्तीय वर्ष 11 में कुल कॉर्पोरेट संग्रहण के 51.87 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 52.47 प्रतिशत हो गया। नियमित कर वित्तीय वर्ष 11 में कुल कॉर्पोरेट संग्रहण के 11.80 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 10.05 प्रतिशत हो गया।

## तालिका 1.4: कॉरपोरेट निर्धारिती संग्रहण

वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्वनिर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	₹ करोड़
वि.व 03	8,961	40,625	3,026	8,926	62,950
वि.व 04	11,934	49,004	5,184	13,477	82,231
वि.व 05	14,654	73,934	4,815	2,888	1,05,189
वि.व 06	26,908	68,013	5,549	18,624	1,24,837
वि.व 07	29,048	96,568	6,954	24,725	1,74,935
वि.व 08	44,148	128,105	11,455	18,518	2,23,941
वि.व 09	60,088	122,697	18,451	12,633	2,42,304
वि.व 10	60,850	148,791	20,159	24,995	2,88,162
वि.व 11	68,313	184,263	23,056	41,916	3,55,266
वि.व 12	91,974	208,886	13,632	40,030	3,98,116

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ों में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

## कुल संग्रहण के प्रतिशत के अनुसार

वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्वनिर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर
वि.व 03	14.24	64.54	4.81	14.18
वि.व 04	14.51	59.59	6.30	16.39
वि.व 05	13.93	70.29	4.58	2.75
वि.व 06	21.55	54.48	4.44	14.92
वि.व 07	16.61	55.20	3.98	14.13
वि.व 08	19.71	57.20	5.12	8.27
वि.व 09	24.80	50.64	7.61	5.21
वि.व 10	21.12	51.63	7.00	8.67
वि.व 11	19.23	51.87	6.49	11.80
वि.व 12	23.10	52.47	3.42	10.05

**1.4.6** निम्न तालिका 1.5 दर्शाती है कि टीडीएस संग्रहण वित्तीय वर्ष 11 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 63.26 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 58.83 प्रतिशत हो गया। अग्रिम कर वित्तीय वर्ष 11 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 17.82 प्रतिशत से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 12 में 23.51 प्रतिशत हो गया।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)

**तालिका 1.5: गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितियों का संग्रहण**

वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्वनिर्धारित कर	नियमित निर्धारित कर	करोड़ ₹	संग्रहण
वि.व. 03	27,607	8,533	3,388	1,819	42,119	
वि.व. 04	31,021	9,709	4,668	2,538	48,454	
वि.व. 05	29,319	16,100	5,229	3,118	55,273	
वि.व. 06	31,698	19,071	6,069	3,488	62,457	
वि.व. 07	41,641	24,659	6,871	5,671	81,697	
वि.व. 08	60,593	30,015	9,670	7,202	112,910	
वि.व. 09	68,142	20,635	12,328	8,704	116,225	
वि.व. 10	84,885	24,626	12,349	8,279	136,551	
वि.व. 11	100,356	28,275	13,831	9,922	158,632	
वि.व. 12	106,705	42,640	14,016	11,482	181,383	

नोट: उपरोक्त आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त किये गये थे। संग्रहण के आंकड़ों में अधिभार और कर सहित अन्य प्राप्तियां भी शामिल हैं।


**कुल संग्रहण के प्रतिशत के अनुसार**

वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्वनिर्धारित कर	नियमित निर्धारित कर
वि.व. 03	65.55	20.26	8.04	4.32
वि.व. 04	64.02	20.04	9.63	5.24
वि.व. 05	53.04	29.13	9.46	5.64
वि.व. 06	50.75	30.53	9.72	5.58
वि.व. 07	50.97	30.18	8.41	6.94
वि.व. 08	53.66	26.58	8.56	6.38
वि.व. 09	58.63	17.75	10.61	7.49
वि.व. 10	62.16	18.03	9.04	6.06
वि.व. 11	63.26	17.82	8.72	6.25
वि.व. 12	58.83	23.51	7.73	6.33

**1.4.7** सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि यह नहीं माना जा सका कि अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर और टीडीएस के माध्यम से संग्रहण मोटे तौर पर स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है और वह टीडीएस के प्रावधानों को सुनिश्चित करने और कर दायरे में अधिक करदाताओं को लाने के लिए तेज़ी से कार्रवाई कर रहा था।

## 1.5 प्रत्यक्ष कर की बजटिंग

**1.5.1** बजट सरकार की दृष्टि एवं अभिप्राय को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट प्राक्कलनों की तदनुस्ली पास्तविक संग्रहण से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का द्योतक है। निम्न चार्ट 1.1 बजट प्राक्कलनों (बीई), संशोधित प्राक्कलनों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाता है।



**1.5.2** प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वित्तीय वर्ष 03, 05, 06, 09 तथा 12 को छोड़कर सभी वर्षों में बजट प्राक्कलनों से बढ़ गया। बजट प्राक्कलनों से बढ़े हुए संग्रहण वित्तीय वर्ष 10 में 2.0 प्रतिशत से लेकर वित्तीय वर्ष 08 में 16.7 प्रतिशत के बीच थे। संशोधित प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संशोधित प्राक्कलनों के (-) 3.23 प्रतिशत से 2.45 प्रतिशत के बीच के वास्तविक संग्रहण में अंतर के प्रति वास्तविक पाये गए। निम्न तालिका 1.6 इनका विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.6: वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक	वास्तविक ऋण बीई	वास्तविक ऋण आरआई	बीई के प्रतिशत के रूप में अंतर	आरई के प्रतिशत के रूप में अंतर	करोड़ ₹
वि.व. 03	91,585	82,445	83,089	(-) 8,496	644	(-) 9.28	0.78	
वि.व. 04	95,714	103,400	105,089	9,375	1,689	9.79	1.63	
वि.व. 05	139,510	133,929	132,771	(-) 6,739	(-) 1,158	(-) 4.83	(-) 0.86	
वि.व. 06	177,077	170,077	165,216	(-) 11,861	(-) 4,861	(-) 6.70	(-) 2.86	
वि.व. 07	210,684	229,272	230,195	19,511	923	9.26	0.40	
वि.व. 08	267,490	304,760	312,217	44,727	7,457	16.72	2.45	
वि.व. 09	365,000	345,000	333,857	(-) 31,143	(-) 11,143	(-) 8.53	(-) 3.23	
वि.व. 10	370,000	387,008	377,594	7,594	(-) 9,414	2.05	(-) 2.43	
वि.व. 11	430,000	446,000	445,995	15,995	(-) 5	3.72	0.00	
वि.व. 12	532,651	500,651	493,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.26	(-) 1.33	

टिप्पणी: बजट एवं संशोधित प्राक्कलनों के आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं तथा वास्तविक संग्रहण संबंधित वित्त लेखाओं के अनुसार हैं।

## 1.6 प्रतिदायों पर व्याज का गलत लेखांकन

**1.6.1 व्याज भुगतान**<sup>7</sup> भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार होता है और इसलिए एक समुचित बजटीय तंत्र के माध्यम से देय होता है। तदनसार, लघु-शीर्ष "प्रतिदायों पर व्याज" को मुख्य शीर्ष "2020-आय एवं व्यय पर करों के संग्रहण" के अंतर्गत प्रचालित करना होता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 12 के बजट प्राक्कलनों में "प्रतिदाय पर व्याज" के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था और प्रतिदायों के व्याज पर ₹ 6,486 करोड़ का व्यय, राजस्व में कटौती के रूप में माना गया था। राजस्व में कटौती के रूप में प्रतिदाय पर व्याज का लेखांकन गलत है क्योंकि यह व्याज कभी भी संग्रहीत नहीं किया गया था। पीएसी भी पैराग्राफ<sup>8</sup> की जाँच करते हुए सीएजी के विचारों से सहमत हुईं कि व्याज व्यय की एक मद है और इसे सकल कर संग्रहण से नहीं घटाया जाना चाहिए।

**1.6.2 सीबीडीटी** ने कहा (अप्रैल 2013) कि मामले का पीएसी के निदेशानुसार स्पष्टीकरण देने के लिए एलडी महान्यायवादी के साथ अनुसरण किया जा रहा है ताकि समुचित नीति निर्णय शीघ्र किया जा सके।

<sup>7</sup> हमने पहले कहा था कि सरकार 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिदाय पर दिये गये व्याज के लिए लेखांकन की गलत प्रक्रिया का पालन कर रही है।

<sup>8</sup> संघ सरकार - संघ सरकार (सिविल) के लेखे 2011-12 की रिपोर्ट सं. 4.1.1

### 1.7 कर व्यय

**1.7.1** किसी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधि पूर्ति हेतु आवश्यक राजस्व की वसूली करना है। वसूल की गई राजस्व की राशि कर आधार एवं कर दरों द्वारा काफी हद तक निर्धारित की जाती है। उपायों की श्रेणियां-विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियां, छूट, स्थगन और क्रेडिट जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं भी कर प्रणाली का एक कार्य है। इन उपायों को "कर अधिमान" कहते हैं।

**1.7.2** अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अधिनियम में व्यष्टियों, निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास, अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, सहकारिता क्षेत्र और पूँजी निवेश के लिए वर्द्धित मूल्यवास द्वारा बचत के प्रोत्साहन के लिए कर अधिमान के लिए प्रावधान है। इन अधिकांश कर लाभों का कॉरपोरेट और गैर कॉरपोरेट दोनों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।

**1.7.3** राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, की आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार को जनहित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए और जहाँ तक संभव हो, अनुदान के लिए मांग और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में गोपनीयता को कम करें। 13वें वित्त आयोग ने भी कर व्यय की गणना और उसके प्रकटन में अधिक पारदर्शी प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की है।

**1.7.4** संघ की बजट प्राप्ति वित्तीय वर्ष 06 से कर व्यय का विवरण दर्शाती है जो केवल कुल मुख्य करों का अनुमान लगाती है। ये प्राक्कलन हाल के वर्षों में कॉरपोरेट तथा गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्नों पर आधारित हैं। कर छूटों के कारण छोड़ा गया राजस्व निर्विवाद रूप से कई वर्षों (वित्तीय वर्ष 11 को छोड़कर) से बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कर व्यय और प्रत्यक्ष कर में वित्तीय वर्ष 08 के बाद गिरावट आ रही है जैसाकि तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर व्यय

वर्ष	कुल कर व्यय	कर व्यय प्रतिशत के अनुसार			करोड़ ₹
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर	
वि.व. 06	49,800	1.35	30.14	13.60	
वि.व. 07	77,177	1.80	33.53	16.30	
वि.व. 08	100,256	2.01	32.11	16.90	
वि.व. 09	104,471	1.86	31.29	17.26	
वि.व. 10	118,023	1.82	31.26	18.90	
वि.व. 11	94,738	1.22	21.24	11.94	
वि.व. 12	101,140	1.13	20.47	11.38	
नोट: आंकड़े बजट प्राप्तियों के अनुसार हैं।					

### **2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)**

**1.7.5** कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में संघ प्राप्ति बजट 2013-14 में कर व्यय विवरण नवम्बर 2012 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप में फाईल की गई 4.95 लाख कॉरपोरेट रिटर्नों (वित्तीय वर्ष 12) के नमूना डॉटा के आधार पर है। नमूना 31 मार्च 2012 को कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ पंजीकृत देश में 8.0 लाख कार्यकारी कम्पनियों<sup>9</sup> से काफी कम है। इसी प्रकार, गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों का नमूना भी नवम्बर 2012 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाईल की गई रिटर्नों के आधार पर है।

**1.7.6** प्रभावी कर दर (ईटीआर) सभी कर व्यय के उपयोग के बाद कॉरपोरेट निर्धारितियों पर पड़ती कर की दर है। कम्पनियों<sup>10</sup> के लिए ईटीआर 32.44 प्रतिशत की सांविधिक कर दर के प्रति वित्तीय वर्ष 12 में 22.85 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 11 में 24.10 प्रतिशत से घटकर) थी।

**1.7.7** सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि ऐसा बड़ी संख्या में घाटा उठाने वाली कम्पनियों तथा अधिभार को 7.5 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने के कारण है। यह स्थापित नहीं हो सका कि क्या ये ईटीआर में इतनी अधिक कमी के पर्याप्त कारण थे, और यह कॉरपोरेट क्षेत्र में बढ़ती हुई कर प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

## **1.8 कर व्यय के परिणाम की मॉनिटरिंग**

**1.8.1** कर व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता की समयानुसार जांच/आकलन करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें जोखिम निहित होता है। इन व्ययों के स्वामित्व के संबंध में स्पष्टता की भी कमी है क्योंकि वे अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के साथ कर संविधियों के अंतर्गत आते हैं परन्तु किसी निश्चित जिम्मेदारी का पालन किये बिना।

**1.8.2** लेखापरीक्षा के इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कर लाभ के प्रभाव को मॉनीटर करने के लिए ऐसा कोई समीक्षा तंत्र विद्यमान था, सीबीडीटी ने कहा (मार्च 2013) कि राजस्व विभाग ने कर प्रोत्साहनों के कारण छोड़े गए राजस्व का अनुमान लगाने के लिए एक वार्षिक प्रयोग किया जिसे छोड़े गए राजस्व विवरण में दर्शाया गया था। तथापि, उन्होंने स्वीकार किया कि किसी विशेष सेक्टर अथवा क्षेत्र पर इन प्रोत्साहनों के प्रभाव के परिणामों का मंत्रालय द्वारा मॉनीटर करना होता है जो राजस्व विभाग को नियमित फीडबैक नहीं देता। अतः लेखापरीक्षा कि यह चिन्ता अनुचित नहीं है कि महत्त्व के इस क्षेत्र की पर्याप्त मॉनीटरिंग नहीं की जा रही जिससे कर लाभ प्रदान करने से होने वाले लाभ का आश्वासन दिया जा सके।

<sup>9</sup> स्रोत: कॉरपोरेट मामलों से सम्बन्धित मंत्रालय (आर एवं ए प्रभाग)

<sup>10</sup> स्रोत: बजट प्राप्तियाँ 2013-14

### 1.9 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

**1.9.1** हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा में, हम नियमित रूप से जांच करते हैं कि आयकर विभाग उन कर छूटों का संचालन कैसे कर रहा है, जो वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नीति अभिधारणाओं द्वारा संचालित होती हैं। हमने वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आयकर विभाग के क्षेत्रीय संघटकों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभभोगियों को कर छूटों का लाभ प्रदान किया जो उनके हकदार नहीं हैं। इसके ब्यौरों का वर्णन अध्याय III और IV के पैराग्राफ क्रमशः 3.3.1 और 4.3.1 में किया गया है। इन मामलों में, हमने उन कॉरपोरेट निर्धारितियों से संबंधित 162 ऐसे मामले देखे जिन्होंने ₹ 1412.72 करोड़ की राशि की अनुपयुक्त रियायतों/छूटों/कटौतियों का लाभ उठाया और 41 ऐसे मामले देखे जो गैर कॉरपोरेट निर्धारितियों से संबंधित थे जिन्होंने कुल ₹ 53.9 करोड़ का लाभ उठाया।

### 1.10 कर आधार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण

**1.10.1** विभाग के पास निर्धारिती आधार को बढ़ाने के लिए कई तंत्र उपलब्ध थे जिनमें सर्वेक्षण, अन्य कर विभागों के साथ सूचना बांटना और वार्षिक सूचना रिटर्नों में उपलब्ध तीसरी पार्टी की जानकारी शामिल है। स्वचालन एक दूसरे को अच्छी तरह से जोड़ने<sup>11</sup> को सरल भी बनाता है। उनमें से अधिकतर तंत्र निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर उपलब्ध हैं। आयकर विभाग ने पिछले एक दशक के दौरान मुख्य आईटी पहलों का उत्तरदायित्व लिया जिसे वे कर आधार के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयोग कर सकते थे।

**1.10.2** निम्न तालिका 1.8 और 1.9 विभिन्न श्रेणियों में गैर-कॉरपोरेट और कॉरपोरेट निर्धारितियों के विवरण दर्शाती है।

---

<sup>11</sup> ई-टीडीएस से टीडीएस रिटर्न के गैर दाखिलकर्ता बड़े निगमों और गैर-कॉरपोरेट कटौतीकर्ता द्वारा जमा टीडीएस के वार्षिक तुलनात्मक आंकड़ों, उनके द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु टीएन डॉटा का मिलान करना, पैन डॉटा आधार के साथ कर रिटर्नों का मिलान और कटौतीदाता की रिटर्न के साथ टीडीएस कटौतियों पर कटौतीकर्ता द्वारा जमा रिटर्न के मिलान संबंधी जानकारी।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)

तालिका 1.8: गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती

वर्ष	ए <sup>12</sup>	बी <sup>13</sup>	बी <sup>14</sup>	सी <sup>15</sup>	डी <sup>16</sup>	आंकड़े लाख में कुल
वि.व.03	255.25	16.94	4.95	0.88	2.98	281.00
वि.व. 04	265.46	17.99	3.68	1.05	0.12	288.30
वि.व. 05	243.63	18.30	4.66	1.22	0.14	267.95
वि.व. 06	258.98	20.74	6.48	5.62	2.13	293.95
वि.व. 07	273.30	20.91	6.96	5.79	2.00	308.96
वि.व. 08	287.90	31.38	10.09	2.18	0.10	331.65
वि.व. 09	278.36	31.15	10.93	2.67	0.12	323.23
वि.व. 10	283.72	35.64	14.58	3.11	0.12	337.17
वि.व. 11	271.29	38.36	17.78	4.49	0.12	332.04
वित्तीय वर्ष 12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61

तालिका 1.9 कॉर्पोरेट निर्धारिती

वर्ष	ए <sup>17</sup>	बी <sup>18</sup>	बी <sup>19</sup>	सी <sup>15</sup>	डी <sup>16</sup>	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती का संख्या	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्य कर रही कंपनियों की संख्या
वि.व. 03	1.83	0.84	0.45	0.39	0.14	3.65	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वि.व. 04	2.00	0.81	0.44	0.44	0.03	3.72	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वि.व. 05	2.05	0.76	0.43	0.54	0.02	3.80	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वि.व. 06	1.99	0.78	0.46	0.68	0.02	3.93	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वि.व. 07	2.05	0.78	0.47	0.68	0.02	4.00	0.10	7.44
वि.व. 08	3.16	0.70	0.51	0.59	0.02	4.98	0.08	7.69
वि.व. 09	1.67	0.59	0.48	0.51	0.03	3.28	0.07	7.50
वि.व. 10	1.84	0.65	0.61	0.56	0.02	3.68	0.09	8.40
वि.व. 11	1.69	0.76	0.67	0.62	0.02	3.76	0.22	7.20
वि.व. 12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01

<sup>12</sup> श्रेणी "ए" निर्धारिती- ₹ 2 लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण।

<sup>13</sup> श्रेणी "बी" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 2 लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ 5 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

<sup>14</sup> श्रेणी "बी" निर्धारिती-₹ 5 लाख से अधिक और ₹ 10 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

<sup>15</sup> श्रेणी "सी" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक आय/हानि का निर्धारण।

<sup>16</sup> श्रेणी "डी" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण।

<sup>17</sup> श्रेणी "ए" निर्धारिती- ₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

<sup>18</sup> श्रेणी "बी" निर्धारिती (कम आय समूह) - ₹ 50,000 और अधिक परन्तु ₹ 5.00 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

<sup>19</sup> श्रेणी "बी" निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ 5.00 लाख और अधिक परन्तु ₹ 10.00 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

**1.10.3** गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती आधार<sup>20</sup> ने वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 3.03 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर्शाई जबकि कॉरपोरेट निर्धारिती आधार इस अवधि के दौरान बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गया। "ग" श्रेणी के गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती वित्तीय वर्ष 07 में 5.79 लाख से तेज़ी से घट कर वित्तीय वर्ष 08 में 2.18 लाख हो गए और वित्तीय वर्ष 12 में धीरे-धीरे बढ़कर 6.57 लाख हो गए। तथापि, ₹ 25 लाख से अधिक की आय वाले कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 11 में 0.22 लाख से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 0.14 लाख हो गई। कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या आरओसी के पास पंजीकृत कम्पनियों की संख्या से भिन्न है। विभाग अन्तर का समाधान करने में विफल रहा।

**1.10.4** सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि मिलान का कार्य प्रक्रियाधीन है।

### 1.11 निर्धारण से बचने वाली आय

**1.11.1** किसी भी ठोस कर प्रशासन प्रणाली का उद्देश्य निर्धारितियों द्वारा करों के अपवंचन से बचने, राजस्व के सर्वोत्तम हित में प्राप्तियोग्य कर के निर्धारण तथा कर न देने वाले अथवा कम कर देने वाले निर्धारितियों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए कर आधार को व्यापक और गहरा बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी होती है। वित्तीय वर्ष 12 के लिए हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा में, हमने ऐसे कई मामले देखे जहां विभाग के भाग पर ऐसे प्रयास नहीं किए गए थे।

**1.11.2** हमने अध्याय-III में कॉरपोरेट निर्धारितियों के 66 मामले सूचित किए जिनकी आय का निर्धारण नहीं किया गया था/कम निर्धारण किया गया था जिसका कर प्रभाव ₹ 337.52 करोड़ था (पैराग्राफ 3.4.1 देखें) और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के 27 मामले सूचित किए जिनकी आय लगभग ₹ 18.94 करोड़ कम निर्धारित की गई थी (पैराग्राफ 4.4.1 देखें)। इसके अतिरिक्त, हमने वित्तीय वर्ष 12 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा में टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में चूक के 803 मामले देखे जिनका कर प्रभाव ₹ 629.69 करोड़ था (पैराग्राफ 2.6.4, परिशिष्ट-7 देखें) जिसके कारण आय के कर निर्धारण से बचने को नहीं रोका जा सका।

### 1.12 कर ऋण - असंग्रहित मांग

**1.12.1** अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों जैसे संग्रहण और बकाया मांग<sup>21</sup> की वसूली अर्थात् निर्धारिती की चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की या बिक्री, निर्धारिती की सम्पत्तियों और कारावास के प्रबंधन के लिए प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के बावजूद

<sup>20</sup> स्रोत: आयकर (कानूनी एवं अनुसंधान) निदेशालय, अनुसंधान एवं सांख्यिकीय विंग

<sup>21</sup> स्रोत: सीएपी I

### 2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)

असंग्रहित मांग बढ़ रही है। अधिनियम के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के प्रयोग के बावजूद कर मांग लम्बी अवधि तक वसूली नहीं जाती। नीचे तालिका 1.10 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 की अवधि के दौरान लम्बित असंग्रहित मांग की प्रवृत्ति दर्शाती है।

**तालिका 1.10:** असंग्रहित मांग की स्थिति

वर्ष	पूर्व वर्षों के संग्रहण हेतु लम्बित मांग	चालू वर्ष के संग्रहण हेतु लम्बित मांग	कुल लम्बित मांग	मांग जिसकी वसूली कठिन है (प्रतिशत)	करोड़ ₹
वि.व.08	86859	37415	124274		उ.न.
वि.व.09	93344	107932	201276	187575 (93.19 %)	
वि.व.10	181612	47420	229032	212758 (92.89 %)	
वि.व.11	202859	88770	291629	271143 (92.98 %)	
<b>वि.व.12</b>	<b>265040</b>	<b>143378</b>	<b>408418</b>	<b>387614 (94.91 %)</b>	

**1.12.2** कुल लम्बित माँग में से, विभाग ने इंगित किया कि वित्तीय वर्ष 12 में 94 प्रतिशत से अधिक की वसूली कठिन है। विभाग ने विभिन्न कारकों की तरफ संकेत किया जैसे वसूली के लिए अपर्याप्त परिसंपत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के अन्तर्गत मामले, निर्धारितियों का पता न लगना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा माँग स्थगन इत्यादि ने माँग की वसूली कठिन बना दी थी।

**1.12.3** सीबीडीटी ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2013) कि मांग जिसकी वसूली की जानी थी अवसूली योग्य नहीं थी तथा हसन अली खां युप के एक मामले ने यह आपवादिक स्थिति उत्पन्न कर दी है।

**1.12.4** कर के भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओज़) को प्रेषित किया गया था जिन्होंने निर्धारितियों से देय बकाया राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र बनाया एवं राशि की वसूली की कार्रवाई की। वसूली तंत्र त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शेष असंग्रहित प्रमाणित मांग वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 0.16 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 1.14 लाख करोड़ हो गई थी।

**1.12.5** सीबीडीटी ने इसका आरोप मानवशक्ति की अत्यधिक कमी पर लगाया (अप्रैल 2013) जिसके कारण वसूली कार्रवाई के प्रभावी अनुसरण में रुकावट आ रही थी।

### 1.13 आईटीडी की नीतिगत योजना (2011-15)

**1.13.1** विभाग ने 2011-15 के दौरान मापयोग्य लक्ष्य एवं गतिविधियों के साथ एक नीतिगत योजना परिदृश्य 2020 तैयार की है। कार्रवाई योग्य बिन्दुओं में, अन्य बातों के साथ -साथ कर आधार का अनुमान लगाना एवं एक राजस्व पूर्वानुमान मॉडल विकसित

करना, कर निःसरण पर अध्ययन प्रारंभ करना, शोध इकाई स्थापित करना, डॉटा गोदाम एवं व्यापार बौद्धिक मॉडल विकसित करना, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान एवं निगरानी में पहल करना शामिल है।

**1.13.2** प्रधानमंत्री ने सितम्बर 2009 में भारत में सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लिए "निष्पादन निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस)" के लिए एक नये तंत्र का अनुमोदन किया। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी/विभाग को एक परिणाम ढांचा दस्तावेज़ (आरएफडी) तैयार करना आवश्यक है। केन्द्रीय सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने उत्तरदायित्य केन्द्रों को आरएफडी प्रणाली के फेज III में डीओआर के अन्तर्गत सम्मिलित करने का निश्चय किया (मार्च 2011)। तदनुसार, आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 13 के लिए अपना आरएफडी तैयार किया। आयकर विभाग ने भी वित्तीय वर्ष 11 के लिए अपना आरएफडी तैयार किया था हालांकि यह अनिवार्य नहीं था।

#### 1.14 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

**1.14.1** नीचे तालिका 1.11 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संवीक्षा के निर्धारण में अनिर्णय और निपटान की प्रवृत्ति बताती है। निपटान के लिये लम्बित निर्धारण वित्तीय वर्ष 11 में 3.92 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 4.05 लाख हो गए।

तालिका 1.11: संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

वर्ष	निपटान के लिये बकाया निर्धारण	पूर्ण किये गये निर्धारण	लम्बित निर्धारण	(संख्या) प्रतिशतता में
			लम्बित निर्धारण	प्रतिशतता में
वि.व. 08	9,97,813	4,07,239	5,90,574	59.2
वि.व. 09	9,53,767	5,38,505	4,15,262	43.5
वि.व. 10	8,70,620	4,29,585	4,41,035	50.6
वि.व. 11	8,47,196	4,55,212	3,91,984	46.3
वि.व. 12	7,74,807	3,69,320	4,05,487	52.3

#### 1.15 अपील के मामलों का निपटान

**1.15.1** नीचे तालिका 1.12 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों की अपूर्णता और निपटान की प्रवृत्ति बताती है। सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 08 में 67.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 75.3 प्रतिशत हो गई। अपील के मामलों में अवरुद्ध राशि भी वित्तीय

**2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)**

वर्ष 09 में ₹ 1.99 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 2.42 लाख करोड़ (भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के 61.4 प्रतिशत के बराबर) हो गई।

**तालिका 1.12:** सीआईटी (अपील) द्वारा अपील के मामलों का निपटान

वर्ष	निपटान के लिए बकाया अपीलें	निपटाई अपीलें	गई लम्बित अपीलें	लम्बित अपीलें प्रतिशतता में	अपीलों में अवरुद्ध राशि	करोड़ ₹.
वि.व.08	1,94,003	63,645	1,30,358	67.2	-	
वि.व. 09	2,24,382	66,351	1,58,031	70.4	1,99,101	
वि.व. 10	2,60,700	79,709	1,80,991	69.4	2,20,148	
वि.व. 11	2,57,656	70,474	1,87,182	72.6	2,93,548	
वि.व. 12	3,06,134	75,518	2,30,616	75.3	2,42,182	

**1.15.2** 31 मार्च 2012 को 65,803 मामलों में उच्च स्तर (आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरुद्ध राशि ₹ 1.63 लाख करोड़ थी।

### 1.16 विवादित मांग

**1.16.1** नीचे दी गई तालिका 1.13 और 1.14 उठाई गई और लम्बित मांग और अविवादित मांग के आयु- वार विश्लेषण की सूची बताती है।

**तालिका 1.13:** उठाई गई और लम्बित मांग

मद	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	करोड़ ₹
<b>वर्ष के अन्त में</b>					
लम्बित मांग	2,01,276	2,29,032	2,91,629	4,08,418	
संग्रहणीय मांग	13,701	16,274	20,486	20,804	
विवादित मांग	53,810	66,534	1,52,996	2,08,343	
अविवादित मांग	39,330	42,950	51,331	48,980	

**तालिका 1.14:** अविवादित मांग का आयुवार विश्लेषण

आयु	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	करोड़ ₹
1 से 2 वर्ष	14,868	18,530	26,814	20,022	
2 से 5 वर्ष	12,133	12,941	12,443	11,302	
5 से 10 वर्ष	10,464	9,990	10,648	14,424	
10 वर्ष से अधिक	1,865	1,488	1,425	3,232	
<b>कुल</b>	<b>39,330</b>	<b>42,950</b>	<b>51,331</b>	<b>48,980</b>	

**1.16.2** यद्यपि, वर्ष के अंत में लम्बित मांग दोगुनी बढ़ी, तथापि वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 12 तक विवादित मांग लगभग चार गुणा बढ़ी। इस अवधि के दौरान अविवादित मांग 1.2 गुणा बढ़ी। इसने निर्धारण अधिकारियों द्वारा संपन्न की गई संवीक्षा के निर्धारण के प्रति निर्धारितियों की कम संतुष्टि दर्शाई।

**1.16.3** सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि मांग में वृद्धि जिसमें वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2012 तक लगभग चार गुणा का विवाद था, संवीक्षा निर्धारणों की खराब गुणवत्ता के सूचक के स्तर में नहीं ली जानी चाहिए, बल्कि यह इस तथ्य की सूचक है कि निर्धारणों के क्रम में जाँचे गए विषय या तो संख्या में अधिक थे अथवा उनमें उच्च राशि शामिल थे ताकि उन्हें किए जाने वाले निर्धारणों में शामिल किया जा सके। उसने यह भी कहा कि संवीक्षा निर्धारणों के किए गए परिवर्धन करदाताओं की सन्तुष्टि के सूचक नहीं हैं क्योंकि संवीक्षा निर्धारणों में किए गए परिवर्धनों पर सामान्यतः करदाताओं द्वारा अपील कर दी जाती है। यह ठोस आंकड़ों से समर्थित नहीं है और यह निर्धारण पद्धति में बढ़ते असंतोष की ओर संकेत करता है।

### 1.17 प्रतिदाय दावों का निपटान

**1.17.1** नीचे दी गई तालिका 1.15 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान प्रत्यक्ष वापसी दावों की लम्बिता और निपटान की प्रवृत्ति बताती है। निपटान के लिये लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय वित्तीय वर्ष 11 में 19.5 लाख से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 12.5 लाख हो गए। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों के निपटान की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

तालिका 1.15: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान

वर्ष	निपटान के लिए प्रत्यक्ष प्रतिदाय	बकाया	निपटाए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय	लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय	(संख्या लाख में)	
					प्रतिशतता में	
वि. व. 08	27.1	18.8	8.3	30.6		
वि. व. 09	42.2	26.7	15.5	36.7		
वि. व. 10	48.0	28.6	19.4	40.4		
वि. व. 11	59.9	40.4	19.5	32.6		
वि. व. 12	52.8	40.3	12.5	23.7		

### 1.18 आयकर विभाग की आईटी पहल

**1.18.1** आयकर विभाग (आईटीडी) ने 1980 के दशक के प्रारंभ में कम्प्यूटरीकरण की पहल की जिसने विशिष्ट कार्यात्मकताओं को लक्षित किया। 1993 तक, आयकर विभाग के पास बहुत कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम (सीसीपी) के तहत अधिक विशाल कम्प्यूटरीकरण रोड मैप है। आयकर विभाग (आईटीडी) में आईटी कार्यान्वयन के मुख्य उद्देश्य कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता को सुधारना तथा कर आधार को व्यापक बनाने के साथ-साथ प्रभावी योजना की विश्वसनीय और समय पर सूचना प्रबंधन को उपलब्ध कराना है।

**1.18.2** विजय केलकर की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर टास्क फोर्स (दिसम्बर 2002) ने सिफारिश की कि कर सूचना नेटवर्क (टिन) को कर निर्धारण और संग्रहण प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। टास्क फोर्स की सिफारिशों का अनुकरण करते हुए विभाग ने वर्षों से कई आईटी पहलें की थी।

**1.18.3** आयकर विभाग की मौजूदा प्रणाली कई वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम है और यह लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। आयकर विभाग की विस्तृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना में निर्धारिती सूचना प्रणाली (एआईएस), निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी), ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओल्टास), इलेक्ट्रॉनिक कर कटौती प्रणाली (इ-टीडीएस), वैयक्तिक रनिंग लैजर लेखा प्रणाली (इरला), कम्प्यूटर एडिड संवीक्षा प्रणाली (सीएएसएस), और आयकर विभाग के कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए प्रवर्तन सूचना प्रणाली (इएफएस) जैसे मॉड्यूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कई अन्य आंतरिक प्रबंधन और हाऊसकीपिंग मॉड्यूल जैसे कि वेतन पत्रक प्रणाली (पीएएस), मानव शक्ति प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस), न्यायिक संदर्भ प्रणाली (जेआरएस), वित्तीय स्रोत प्रणाली (एफआरएस), सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) भी कार्यरत हैं।

**1.18.4** आयकर विभाग ने समस्त भारत की ई-फाईल रिटर्न और कर्नाटक तथा गोवा की ऐपर रिटर्न को संचालित करने के लिए बैंगलूरु में एक केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया। यह सीपीसी अक्टूबर 2009 में परिचालित हुआ।

### 1.19 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

**1.19.1** आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अधिनियम की धारा के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से परिचालित किए जा रहे हैं।

**1.19.2** विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और उद्देश्यात्मक सैटअप के लिए जून 2007 में एक नई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली प्रस्तुत की जबकि निर्धारण कार्य और लेखापरीक्षा कार्य विभिन्न विशेषीकृत विंग को दिए गए। प्रत्येक सीआईटी (लेखापरीक्षा) के अन्तर्गत एक अतिरिक्त सीआईटी होना चाहिए जो उच्च-स्तरीय मामलों और उप/ सहायक सीआईटी और आईटीओज़ की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी (आईएपी) की अध्यक्षता में विशेष लेखापरीक्षा पार्टी (एसएपी) के लेखापरीक्षा कार्य सर्वेक्षण की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी द्वारा एक वर्ष में लेखापरीक्षा किए गए मामलों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 50,300; और 1,300 (600 निगम मामले और 700 गैर-निगम मामले) होनी चाहिए।

**1.19.3** सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा लिया गया 1300 का आंकड़ा गलत है क्योंकि प्रत्येक आईएपी के लिये लक्ष्य या तो 600 कॉरपोरेट या 700 गैर-कॉरपोरेट मामले हैं। यह 2007 में विभाग द्वारा जारी निर्देशों द्वारा वहन नहीं किया गया है, जहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आईएपी के लिये लक्ष्य 600 कॉरपोरेट मामले और 700 गैर-कॉरपोरेट मामले हैं।

**1.19.4** आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने विंग की कार्यक्षमता के आधार पर वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 2,91,950 मामलों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई। इनमें से, 61.8 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 1,80,416 मामले पूरे किए गए। तालिका 1.16 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 तक प्रत्येक वर्ष के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.16: जोड़े गए, सुलझाए गए और लम्बित लेखापरीक्षा निष्कर्ष का विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान योग		वर्ष के दौरान निपटान		वर्ष के दौरान लम्बन		करोड़ ₹
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
वि.व.08	8770	1858.97	361	484.90	15097	1786.98	
वि.व.09	9068	1951.64	2866	334.47	21299	3404.15	
वि.व.10	14577	1224.81	6434	657.58	29442	3971.37	
वि.व.11	13494	5466.88	7996	921.85	34940	8516.4	
वि.व.12	13771	1879.85	14148	1118.49	34563	9277.76	

**2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)**

**1.19.5** आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का लम्बन पिछले पाँच वर्षों के दौरान दुगुने से अधिक है। आंतरिक लेखापरीक्षा पर विभागीय प्रतिक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 12 में निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत मुख्य निष्कर्ष<sup>22</sup> में ₹ 10.3 लाख करोड़ के कर प्रभाव वाले 15,811 मामलों में से ₹ 1.1 लाख करोड़ (10.7 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले केवल 3,616 मामलों (22.9 प्रतिशत) पर कार्रवाई की गई थी। वित्तीय वर्ष 07 में ₹ 412.9 करोड़ के कर प्रभाव वाले 6,688 मामलों में से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 9,277.8 करोड़ के कर प्रभाव वाले 34,563 मामलों की कुल लम्बन वृद्धि हुई।

**1.19.6** सीबीडीटी ने अप्रैल 2013 में, इस तथ्य कि आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के लम्बन में नियमित बढ़त हो रही है को स्वीकार करते हुये, सूचित किया कि उन्होंने लेखापरीक्षा विरोधों के अधिक से अधिक वास्तविक निपटान को सुनिश्चित करने के लिये उपाय शुरू किये हैं।

**1.19.7** इसके अतिरिक्त, हमने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में की गई लेखापरीक्षा में निर्धारणों में कई लेखापरीक्षा आपत्तियों का पता लगाया। वित्तीय वर्ष 12 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित 3471 निर्धारणों में हमने गलतियों को इंगित किया जिन्हें उनके द्वारा उजागर नहीं किया गया था। यह आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

**1.19.8** इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल 455 पैराग्राफों में से आंतरिक लेखापरीक्षा ने 34 मामलों (7.5 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की लेकिन ऐसी गलतियों को नहीं खोजा जो आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की तरफ संकेत करती हैं।

**1.19.9** सीबीडीटी ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2013) कि आयकर के सभी आयुक्तों (लेखापरीक्षा) को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिये प्रयास करने को कहा गया है, लेकिन आईए का निष्पादन, सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की काफी कमी से प्रभावित है।

---

<sup>22</sup> आयकर में ₹1 लाख और अन्य करों में ₹ 30,000 से अधिक पर लेखापरीक्षा आपत्ति